भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2348

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

विद्यालय पाठ्यक्रम में विविधता

2348. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों और भाषाओं के लिए स्कूल, स्कूली छात्रों और पाठ्यक्रमों में रूचि को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) एलजीबीटीक्यू, एससी, एसटी, ओबीसी, और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए स्कूलों और स्कूल पाठ्यक्रमों में समरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या स्कूल पाठ्यक्रम में शिक्षकों, छात्रों और प्रशासनिक संकाय के लिए विविधता प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं;
(घ) यदि हां, तो इन मॉड्यूल का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ) 2005, जो सभी स्कूल चरणों पर पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के विकास हेतु दिशानिर्देश और निर्देश निर्धारित करता है, भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्ष, महिला-पुरूष समानता, पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक बाधाओं को हटाने, अन्य भलाई के सरोकार, मानव आत्म- सम्मान और अधिकारों आदि के लिए सम्मान जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्कूल शिक्षा में भाषा सामंजस्य और भाषाओं के बीच समानता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रि-भाषा सूत्र अपनाया है।

(ख) : एनसीएफ, 2005 लोकतांत्रिक कार्यों, मूल्यों, महिला-पुरूष न्याय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं, नि:शक्ततों की आवश्यकताओं और आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए क्षमताओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए नागरिक समुदाय के विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर डालता है। यह इस बात पर भी जोर डालता है कि स्कूलों को समान कक्षा वातावरण बनाने के महत्व के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिसमें छात्रों को अनुचित व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जाती है और छात्रों के महिला-पुरूष होने या जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय के होने के आधार पर अवसरों के लिए मना नहीं किया जाता है। एनसीएफ, 2005 के आलोक में एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न आयु उचित और संदर्भ विशेष कार्य रणनीतियों सहित एकीकृत तरीके से सभी मामलों के सरोकार का ध्यान रखा गया है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में उनकी विषय-वस्तु, चित्र और दृश्यों के माध्यम से महिला-पुरूष भेदभाव, रूढिवादिता, उपेक्षा, असमानता और भेदभाव, सुरक्षा और अभिरक्षा आदि जैसे सभी विषयों का समाधान किया जाता है।

(ग) से (ड.) : एनसीईआरटी ने शिक्षकों, अध्यापक प्रशिक्षकों और राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज और संसाधन सामग्री और विद्यार्थियों के लिए अनुपूरक सामग्री भी विकसित की है जिसमें हमारे देश में विविधता से संबंधित सरोकारों का ध्यान रखा जाता है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकें विविधता संबंधित सरोकारों के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध कराता है।

*****